न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 27/2023 **दायर दिनांकः 25.08.2023**

उनवान

1. बृजमोहन पुत्र किशनलाल जाति मेहर निवासी हानिहेड़ा हाल मुकाम झाडोता तह. अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 24.03.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल हानिहेड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 165 का खसरा न. 108 का रकबा 1.08 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.08 है0 आराजी में हिस्सा 1/4 दर्ज खाता चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2072—2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थी का नाम प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में सहवन से बृजमोहन पुत्र किशनलाल के स्थान पर मोहनलाल पुत्र किशना अंकित हो गया है जो कि गलत अंकित है। प्रार्थी का सही नाम बृजमोहन पुत्र किशनलाल है जो कि उसके राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार आदि दस्तावेजों में भी बृजमोहन पुत्र किशनलाल नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरस्त करवा कर अपना नाम मोहनलाल पुत्र किशना के स्थान पर मोहनलाल उर्फ बृजमोहन पुत्र किशनलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के दवारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र किशना कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:41:08 IST
Reason: SelfAttested

है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाभ आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है । प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया। प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल हानिहेड़ा तह. अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम/माल हानिहेड़ा में खाता संख्या 165 के खसरा न. 108 का रकबा 1.08 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.08 है0 आराजी हिस्सा 1/4 में प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र किशना के स्थान पर मोहनलाल उर्फ़ बृजमोहन पुत्र किशनलाल दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही करने पर जवाब प्रा0 पत्र बन्द किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल हानीहेडा सम्वत 2072–75 खाता संख्या 165, पेंशनर वार्षिक सत्यापन स्लिप, भामाशाह कार्ड, बैंक डायरी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल हानिहेड़ा तहसील अट[illegible] जिला बा[illegible]) में खाता संख्या 165 का खसरा न. 108 का रकबा 1.08 है0 कुल किता [illegible] 1.08 [illegible] में सहखातेदार मोहनलाल पुत्र किशना के स्थान पर मोहनलाल उर्फ बृजमोहन पुत्र किशनलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:41:08 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल हानिहेड़ा तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 165 का खसरा न. 108 का रकबा 1.08 है0 कुल किता 1 का रकबा 1.08 है0 आराजी में सहखातेदार मोहनलाल पुत्र किशना के स्थान पर मोहनलाल उर्फ बृजमोहन पुत्र किशनलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 24.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.05.22 13:41:08 IST
Reason: SelfAttested